To,

The Registrar (General),
National Green Tribunal
Principal bench
New Delhi

No. 394/CT/O.A No 240/2023 Date 12.07.23

Subject : **Action Taken Report in compliance of order dated 28-04-2023 passed by Hon'ble NGT in OA No 240/2023 (Harendra Kumar Vs State of Uttar Pradesh).**

Sir,

In Compliance to the order Dated 28.04.2023 passed by the Hon'ble Tribunal in OA No 240/2023 (Harendra Kumar Vs State of Uttar Pradesh) required action has been taken by Joint Committee. In pursuant to the directions of Hon'ble Tribunal Action Taken Report is annexed here with.

The above report is to be presented before Tribunal as required.

With regards,

Enclosure: Action Taken Report

Your's faithfully,

(Deepak Meena)
District Magistrate,
Meerut

जिलाधिकारी / जिला मजिस्ट्रेट
मेरठ।

Action taken report in compliance of order dated 28-04-2023 passed by Hon'ble NGT in OA No.240/2023 (Harender Kumar Vs State of Uttar Pradesh)-

Background-

Hon'ble NGT was pleased to pass order dated 28-04-2023 in OA No.240/2023, relevant contents of which are as under: -

"………2. Grievance is that in front of Electricity Department's office, there is a Galaxy Farm at Hapur Road, Meerut wherein a DG set of 150 kv is being used which is emitting huge polluted smoke comprising carbon dioxide, carbon monoxide, sulphur oxide, nitrogen oxide, chlorine, lead, ammonia, etc. and these chemicals are causing huge air pollution and also resulting in various kinds of diseases and ailments to local residents. Generator set is being run without obtaining any requisite clearance/consent from environmental regulators.

3. In our view, the issue raised in this application can be looked into by concerned local authorities, for the purpose whereof, we constitute a joint committee comprising State PCB and District Magistrate, Meerut who shall look into the matter, visit the site, collect relevant information and if finds violation, take appropriate remedial action including, preventive and punitive action (including, assessment of environmental compensation) within two months………."

4. The nodal agencywill be District Magistrate, Meerut for coordination and compliance."

Inspection and Monitoring-

In compliance of the above order, the following officials from the offices of District Magistrate, Meerut and UP Pollution Control Board, Meerut inspected the alleged Marriage Hall M/s Galaxy Farm House, Hapur Road, Meerut District Meerut on dated 23-06-2023.

1. **Ojasvi Raj** -**SDM- Meerut**
2. **Prakhar Kumar** - **Environmental Engineer, UPPCB, Meerut**
3. **Raj Bahadur** -**JRF, U.P Pollution Control Board Meerut**

Observations-

The observations of the Joint committee are as below: -

1. M/s Galaxy Farm House, Hapur Road, Meerut, wasfound in operation which includes one marriage hall (500 sq mtr) and having people gathering capacity of approx. 1000. The total area of farm house (banquet hall) is approx. 1300 sq meter. The said Farm house (banquet hall) falls under green category. The operation of farm house is seasonal.
2. The said Farm House has installed 25KVA Diesel Generator set, which is not having any canopy (acoustic enclosure) and there is also no stack attached. However, DG sets of capacity upto 50 KVA as stand-alone is exempted from seeking consent to operate (CTO) from UP Pollution Control Board.
3. The domestic effluent is discharged to septic tank/ soak pit.
4. The said Farm House is not disposing solid waste properly and kitchen waste is dumped outside of the road. However, the representative of farm house stated that the generated solid waste is being lifted and disposed by Meerut municipal corporation. Copy of municipality tax is annexed as **annexure-1**.
5. The source of water supply is from submersible pump of capacity 2HP. The Farm house has obtained registration from UP Ground Water Board for the same. Copy is annexed as **annexure-2**.
6. The said Farm House is possessing approved map from MDA authority. Copy is annexed as **annexure-3**.
7. The said Farm House has not obtained consent to operate (CTO) from UP Pollution Control Board.
8. Photographs taken at the time of inspection is as below annexed as **annxure-4**.

Action Taken -

1. Taking cognizance of non-compliant diesel generator set, it was sealed by joint committee on the spot. The representative was directed not to operate DG set without having proper control measures and necessary permissions from the concerned departments.
2. UPPCB has initiated action against the said farm house and has issued notice dt. 24.06.2023 **(annexure-5)** to the farm house (banquet hall) to obtain Consent to Operate (CTO) under Water Pollution (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and Air Pollution (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 as amended. In case the unit does not follow the various environmental rulings, further necessary action will be ensured under Acts including Environmental compensation.

The above factual report is being submitted for kind perusal.

(Raj Bahadur)	(Prakhar Kumar)	(Ojasvi Raj)
J.R.F.	Environmental Engineer	SDM,
UPPCB,	UPPCB	Meerut
Meerut	Meerut	

Annxure-1

Meerut Nagar Nigam (Form-2)

Receipt No. (रसीद सं.)	R2223000071522	Financial Year (वित्तीय वर्ष)	2022-2023
Paid Upto	31-03-2023	Date (दिनांक)	17-12-2022

Assessee Detail

PTIN	1850363910
Recieved from	REHMAT BEGUM
Owner's Father/Husband	ABDUL MAZID
House No (मकान सं.)	3220/3
Zone (जोन)	Head Quarter1
Ward (वार्ड)	85
Locality (मोहल्ला)	Zakir Hussain Colony

Tax Detail

HouseTax(Arr.+ Int.) (गृह कर)	0.00
SewerTax(Arr.+ Int.) (सीवर कर)	0.00
WaterTax(Arr.+Int.) (जलकर)	0.00
Current House Tax (चालू गृह कर)	32308.00
Current SewerTax (चालू सीवर कर)	0.00
Current Water Tax (चालू जलकर)	20678.00

Payment Details

Amount (कुल राशि)	Pay Amount (राशि)	Due Amount (देय राशि)
52986.00	52986.00	0.00
		Bank (बैंक का नाम)
Cheque Number (चेक...)	-	
Total In Words(राशि शब्दों में)	Fifty-Two Thousand Nine Hundred and Eighty-Six Rupees Only	

City Commissioner / नगर आयुक्त

Cashier / कोषाध्यक्ष

Clerk-in-charge of Demand and Collection Register (राजस्व निरीक्षक मांग पूर्ति रजिस्टर)

Account Officer/Revenue Superintendent (लेखा अधिकारी /राजस्व अधीक्षक)

Annxure-2

GROUND WATER DEPARTMENT

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)
Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh

Form 3 (A)
[See Rule 8(1)]

Certificate of Registration of User for Abstraction of Ground Water

(UIS10(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019)

Registration No.: 202209000804

Name of the Owner	REHMAT BEGAM		
Company Name कंपनी का नाम	GALAXY FARM	Company Address कंपनी का पता	3220/3 ZAKIR HUSAIN COLONY HAPUR ROAD MEERUT
Address of the Applicant	3220/3 zakir husain colony hapur road meerut	Application Form Serial No.	[illegible]
Date of Submission	14/09/2022	Specimen Signature	

Location Particulars

District	Meerut	Block	MEERUT
Plot No./Khasra No.	76 k	Municipality/Corporation	Yes
Ward No./Holding No.			85

Particular of the Proposed Well and Pumping Device

Date of Construction/Sinking of the Well	15/05/2022		
Type of Well	Tube Well/Boring	Depth of the Well (In meter)	50.00
Purpose of well	Bulk User	Assembly Size(For Tube Well)	
Strainer Position (For Tube Well)			
Type of Pump Used	Submersible	H.P. of the Pump	2.00
Operational Device	Electric Motor	Rate of Withdrawal (m^3/घं.)	2.00
Date of Energization (In Case of Electric Pump)			15/05/2022

Annexure-3

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

रठ

पत्रांक 173/17 प्र०खण्ड जोन–ए /2020 दिनांक 11/03/2019

सेवा में,

श्रीमती रहमत बेगम

निवासी 549 सददीक नगर

मेरठ ।

विषय– खसरा संख्या 76क में बुढेरा जाहिदपुर गलैक्सी होटल हापुड़ रोड मेरठ के निर्माण के शमन मानचित्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वीकीय शमन मानचित्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । आपके शमन मानचित्रों पर सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 24.05.2018 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपके द्वारा शमन एवं अन्य धनराशि रूपये 33,52,917.00 रसीद संख्या PLN 18027528 दिनांक 17.02.2018, 21.2.2018 अन्य के द्वारा जमा किये जाने पर शमन मानचित्र में प्रस्तावित निर्माण को निम्नलिखित शर्तो के साथ स्वीकृति प्रदान करते हुए शमन मानचित्र निर्गत किया जाता है ।

1– भविष्य में भू–स्वामित्व सम्बन्धी कोई विवाद उत्पन्न होने की दशा में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा तथा मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा ।

2– मानचित्र स्वीकृति एवं एन.जी.टी. की समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा ।

3– प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों का अनुपालन करना होगा ।

4– शमन मानचित्र की स्वीकृति के मद में गणनाओं में त्रुटिवश यदि कोई धनराशि शेष रह जाती है तो प्राधिकरण में जमा करानी होगी ।

5– शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

6– शासनादेशानुसार स्थल पर नियमानुसार वृक्षारोपण करना होगा ।

7– मानचित्र में स्वीकृत भूतल पर दर्शायी गयी पार्किंग केवल पार्किंग हेतु ही प्रयोग की जायेगी ।

8– भवन निर्माण पूर्ण होने पर तथा उपयोग में लाने से पूर्व प्राधिकरण से नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा ।

9– शमनित भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों, स्ट्रक्चरल डिजाईन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन के परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो समस्त दुर्घटनाओं की क्षतिपूर्ति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

कृपया उपरोक्तानुसार उल्लिखित शर्तो का उल्लघंन किये जाने की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं उत्तदायी होंगे ।

संलग्नक– शमन मानचित्र की एक प्रति उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

जोनल अधिकारी जोन ए

मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ ।

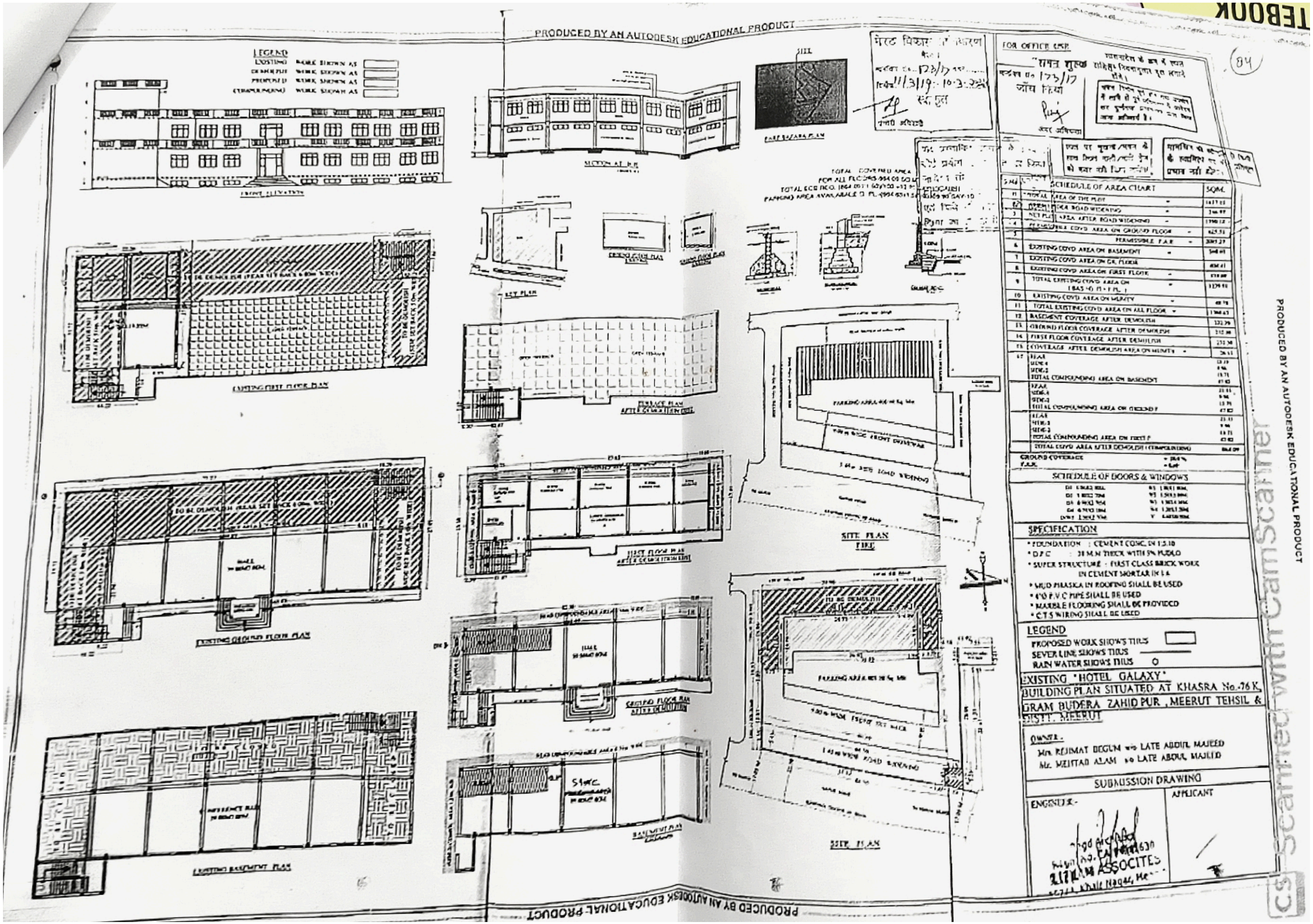

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
LEGEND
EXISTING WORK SHOWN AS
DEMOLISH WORK SHOWN AS
PROPOSED WORK SHOWN AS
COMPOUNDING WORK SHOWN AS
FRONT ELEVATION
SECTION AT B-B
SITE
KEY PLAN
EXISTING FIRST FLOOR PLAN
TERRACE PLAN AFTER DEMOLITION
EXISTING GROUND FLOOR PLAN
FIRST FLOOR PLAN AFTER DEMOLITION
GROUND FLOOR PLAN AFTER DEMOLITION
EXISTING BASEMENT PLAN
BASEMENT PLAN
SITE PLAN FIRE
SITE PLAN
PARKING AREA
FOR OFFICE USE
SCHEDULE OF AREA CHART
SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS
SPECIFICATION
FOUNDATION : CEMENT CONC. IN 1:5:10
D.P.C : 38 M.M THICK WITH 5% PUDLO
SUPER STRUCTURE : FIRST CLASS BRICK WORK IN CEMENT MORTAR IN 1:6
MUD PHASKA IN ROOFING SHALL BE USED
4"Ø P.V.C PIPE SHALL BE USED
MARBLE FLOORING SHALL BE PROVIDED
C.T.S WIRING SHALL BE USED
LEGEND
PROPOSED WORK SHOWS THUS
SEVER LINE SHOWS THUS
RAIN WATER SHOWS THUS
EXISTING "HOTEL GALAXY"
BUILDING PLAN SITUATED AT KHASRA No.-76 K, GRAM BUDERA ZAHID PUR, MEERUT TEHSIL & DISTT. MEERUT
OWNER-
Mrs. REHMAT BEGUM w/o LATE ABDUL MAJEED
Mr. MEHTAB ALAM s/o LATE ABDUL MAJEED
SUBMISSION DRAWING
ENGINEER-
APPLICANT
ASSOCITES
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

OA NO.240/2023

ANNEXURE-4

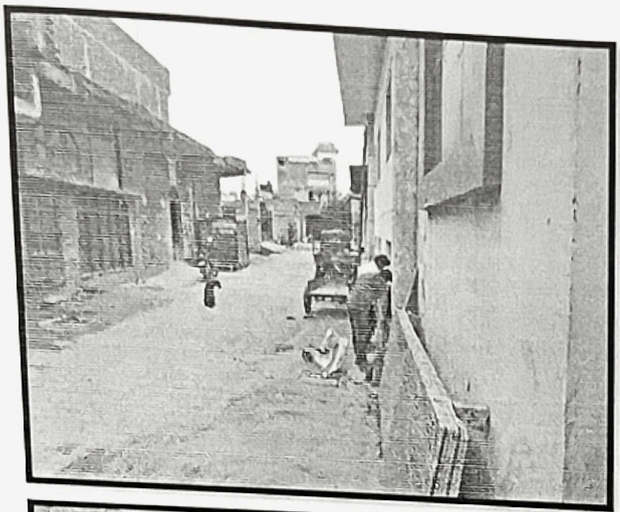

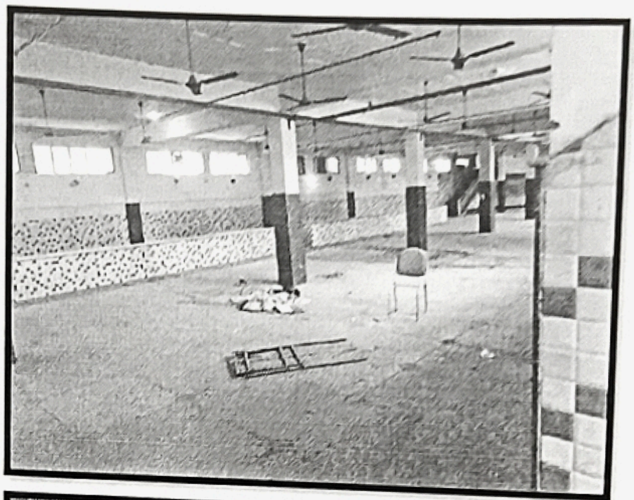

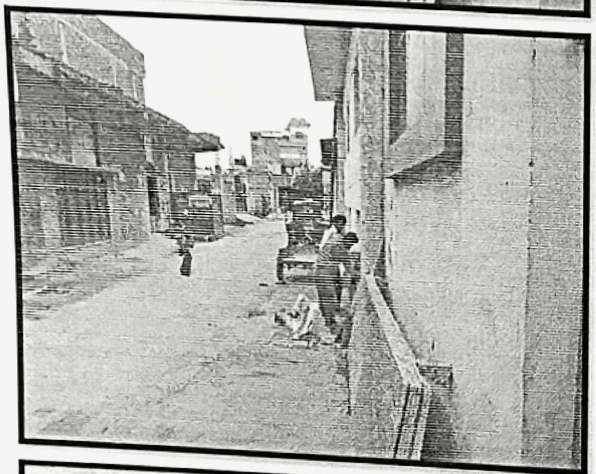

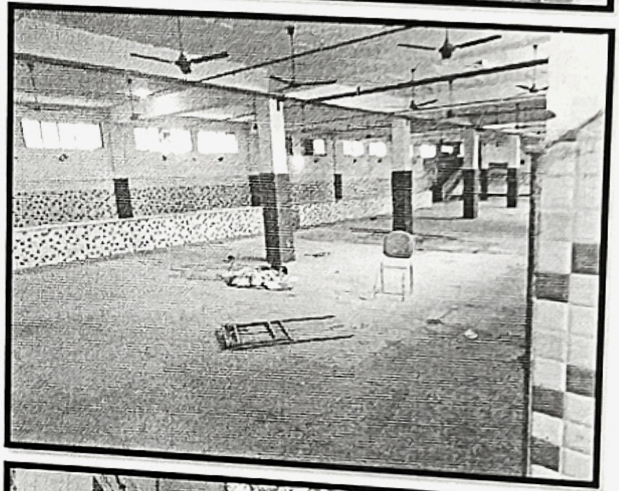

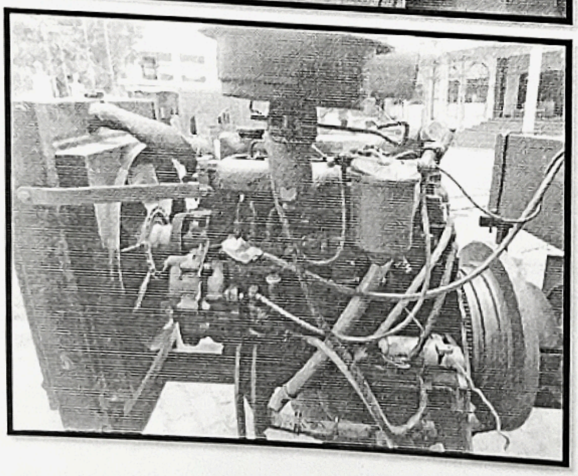

Annxure -V

Phone:- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पाकेट –टी.सी–3/2, पल्लवपुरम फेस–2,
मोदीपुरम,मेरठ–250110 (उ0प्र0)

संदर्भ सं0: 301/G/OA-240/हरेन्द्र कुमार/2023 दिनांक : 24/06/23

मै0 गैलेक्सी फांर्म हाऊस,
हापुड रोड, मेरठ

नोटिस

Regd.

विषय–जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 के अन्तर्गत सहमति (जल) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति (वायु) प्राप्त किये बिना इकाई को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करे। अवगत हो कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 240/2023, हरेन्द्र कुमार बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 28.04.2023 के क्रम में आपके फार्म हाऊस का संयुक्त कमेटी द्वारा निरीक्षण दिनांक 23.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय 25 के0वी0ए0 का डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया। निरीक्षण के समय मौके पर उक्त डी0जी0 सेट को सील कर सील को थाना खरखौंदा को सुपुर्द करा दिया गया है।

जैसा कि फार्म हाऊस में विभिन्न आयोजनों के दौरान घरेलू उत्प्रवाह/किचन उत्प्रवाह एवं डी0जी0 सेट के संचालन से वायु प्रदूषण जनित होता है। जनित एवं वायु प्रदूषण की रोकथाम सम्बन्धित इकाई द्वारा किया जाना अनिवार्य है। साथ ही जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। विदित हो कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का अनुपालन न किये जाने पर इकाई के विरूद्व धारा 33 ए के अन्तर्गत इकाई की बन्दी किया जाना प्राविधानित है। अग्रेतर उल्लघंन किये जाने पर जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 एवं 44 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही (जुर्माना/कारावास अथवा दोनों) किया जाना प्राविधानित है। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का अनुपालन न किये जाने पर इकाई के विरूद्व धारा 31 ए के अन्तर्गत इकाई की बन्दी किया जाना प्राविधानित है। अग्रेतर उल्लघंन किये जाने पर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं 39 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही (जुर्माना/कारावास अथवा दोनों) किया जाना प्राविधानित है।

मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ में दायर रिट याचिका संख्या–25315(एमबी)/2016 आशीष कुमार दीक्षित बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में दिनांक–24.10.2016 के द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि संपूर्ण उ0प्र0 में स्थित होटल, अस्पताल एवं नर्सिंग होम तथा सभी वाणिज्यिक कार्य जिनके द्वारा अनुपचारित पदार्थों का निस्तारण किया जा रहा है एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के प्राविधानों का अनुपालन न करते हुये बिना सहमति प्राप्त किये ही स्थापित एवं संचालित किया जा रहा है, के विरूद्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाये।

पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 के अन्तर्गत निस्तारित उत्प्रवाह व स्थापित जनरेटर सेट के उत्सर्जन के मानक निर्दिष्ट किये गये है। निस्तारित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु आप द्वारा Effluent Treatment Plant/STP की स्थापना नहीं की गयी है। आप द्वारा निरन्तर अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण किया जा रहा है।

कृ0प0उ0

अवगत हों कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) संख्या 375/2012 पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में दिनांक 22.02.2017 को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त न करने एवं उत्प्रवाह शोधन संयंत्र (ईटीपी) स्थापित/संचालित न किये जाने वाली कार्यरत ऐसी प्रतिष्ठानों के गतिविधियों को बंद कराये जाने के आदेश पारित किये गये हैं तथा निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु दोषी प्रतिष्ठानों की विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित कराये जाने हेतु निम्नरूपेण आदेश पारित किये गये हैं–

"*...We therefore hereby further direct, that in case the concerned State Pollution Control Boards make a recommendation to the concerned electrical supply and distribution agency/company, to disconnect electricity supply to an industry, for the reason that its primary effluent treatment plant is not functional, it shall honor such recommendation, and shall disconnect the electricity supply to such defaulting industrial concern, forthwith...*"

अग्रेतर अवगत हों कि अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के पत्रांक 70/7/मु0अभि0(वा0एवं ऊ0ले0)/राजस्व प्रथम/नि0मि0 दिनांक 02.11.2020 के द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये है–

1. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाये।
2. रेड एवं ऑरेन्ज इण्डस्ट्री सेक्टर–टाइप हेतु प्राप्त स्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना स्थाई संयोजन निर्गत न किया जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि किसी भी दशा में बिना सहमति प्राप्त किये डी0जी0 सेट का संचालन न किया जायें एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.02.2017 के अनुक्रम में तत्काल समुचित जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आदि स्थापित करते हुये जल/वायु सहमति आवेदन शुल्क के साथ आनलाइन आवेदन पत्र निवेश मित्र के माध्यम से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों व उपरोक्त वर्णित अधिनियमों के प्राविधानों के अंतर्गत आपके प्रतिष्ठान के विरूद्व की जाने वाली किसी भी प्रकार की अभियोजनात्मक कार्यवाही/विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही सहित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क (Environmetal Compensation) अधिरोपण आदि का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं प्रष्ठिान एवं उसके उत्तरदायी पदाधिकारियों का होगा।

भवदीय

Bhuvan Prakash Yadav
Digitally signed by Bhuvan Prakash Yadav
Date: 2023.06.24 19:08:01 +05'30'

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–

1. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियंता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

Bhuvan Prakash Yadav
Digitally signed by Bhuvan Prakash Yadav
Date: 2023.06.24 19:08:15 +05'30'

क्षेत्रीय अधिकारी